



राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग


क्रमांक : प. 16(57)एम.ई. / ग्रुप-1 / 2019

जयपुर, दिनांक : - 4 FEB 2020

आदेश

जे.के. लोन हॉस्पिटल, कोटा में नवजात शिशुओं की मृत्यु के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर डी.बी. सिविल रीट संख्या 11294/2017 सूओ.मोटो V/s स्टेट ऑफ राजस्थान पी.आई.एल के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द सोनी, अतिरिक्त निदेशक (एकेडमिक), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर को एतद् द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश से,




(आर.एन.शर्मा)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1.विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2.निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3.प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर, बीकानेर, कोटा।
4. अतिरिक्त निदेशक (एकेडमिक), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
- 5.एसीपी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 6.रक्षित पत्रावली।



(शिव शंकर अग्रवाल)
सहायक शासन सचिव